

कार्यालय अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल
क्रमांक 36152-82 / एम.सी/5/15

भोपाल, दिनांक 9/12/2015

// आदेश //

मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संयुक्त भर्ती चयन परीक्षा 2015 का परिणाम घोषित करने के पश्चात् स्टाफ नर्सों के पद की पूर्ति हेतु व्यावसायिक परीक्षा मण्डल भोपाल के पत्र क्रमांक 10प्र0/व्यापम/5-4-1/2015/4464 भोपाल दिनांक 09.06.2015 के साथ उपलब्ध कराई गई चयन सूची तथा कार्यालय द्वारा गठित रूफ्टनी कमेटी के द्वारा दिनांक 07.09.2015 को प्रस्तुत पात्र उम्मीदवारों के अभिलेखों के सत्यापन पश्चात् एवं उम्मीदवारों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा की पुष्टि मध्यप्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसिल, भोपाल के पत्र क्रमांक 12159 प्राप्ति दिनांक 05.12.2015 द्वारा की जाने पर निम्नलिखित उम्मीदवारों की नियुक्ति ट्रेडिंग यूनिट, स्वशासी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल के अंतर्गत स्टाफ नर्स के पद पर अस्थायी रूप से 5200-20200+2800 वेतनमान में शासन द्वारा समय-समय पर देय महंगाई भत्ते के साथ उपस्थित होने की दिनांक से निम्नलिखित शर्तों के अधीन दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर अस्थाई रूप से की जाती है।

S. No.	Name of Candidate	Name of Father	Address	Category	Posting
1	2	3	4	5	6
सामान्य / UR					
1	Smita Tiji	A S Samuel	Q.No. 312, Block 300, Staff Campus, Chri Lashkar Gwalior 474001	UR/Nil/Open	ट्रेडिंग यूनिट
2	Prais Jose	Jose Mathew	635, Arjun Nagar, Near Dilip Nagar, Ratlam 457001	UR/Nil/Open	ट्रेडिंग यूनिट
3	Smita Daniel	Deepak Daniel	H.No. 10, Khajuri Sadak, Sehore road, Bhopal-462030	UR/Nil/Open	ट्रेडिंग यूनिट
अनुसूचित जनजाति / ST					
1	Nupur Subhavna Jacob	Rahul Franklin Jacob	D-22, Old Minal residency, J.K. road, Bhopal 462023	ST/Nil/Open	ट्रेडिंग यूनिट
2	Mary Shalina Meda	Valu Meda	16/84, Chetany Marg Chaitnaya marg jhabua, jhabua 457661	ST/Nil/Open	ट्रेडिंग यूनिट
3	Kajli Marskole	Mandraji Marskole	Govt. Distt. Hospital S.N.C.U. Harda, Harda 461331	ST/Nil/Open	ट्रेडिंग यूनिट
अनुसूचित जाति / SC					
1	Ankita Gaikwad	Valbhav	W 13 Bhind Block Colony Chand road Chourai, Chourai 480115	SC/Nil/Open	ट्रेडिंग यूनिट
2	Goutma Bhalewar	Tamradhwaj	AT Mohgaon, Post-Mohgaon, Malanjkhanda, The Baihar 481116	SC/Nil/Female	ट्रेडिंग यूनिट
3	Menka Nagvanshi	Sanaiya Lal Nagvanshi	84, Tanushri Hospital Chiklod road, Jahangirabad, Bhopal 462008	SC/Nil/Female	ट्रेडिंग यूनिट

नियुक्ति की शर्तें:-

- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है तथा दो वर्ष की परीवीक्षा पर की जायेगी। परीवीक्षा समाप्ति का आधार दो वर्ष के कार्यों का मूल्यांकन होगा।
- नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव समाप्त हो जायेगा। कार्यभार ग्रहण हेतु किसी प्रकार के मार्ग व्यय/यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी।
- कार्यभार ग्रहण करने के 15 दिवस के अंदर मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर स्वयं के व्यय पर स्वास्थ्य का परीक्षण कराना होगा एवं परीक्षण संबंधी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं उपयुक्त पाये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा।
- उपस्थित प्रतिवदेन के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रतियां (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

निरंतर.....2

(2)

5. कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र. एफ-7-2/96/आप्र/1 दि 1/08/96 के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में ही दिया जाना अनिवार्य है एवं मध्यप्रदेश का स्थाई जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण करवाया जायेगा।
 6. नियुक्त कर्मचारी को शासकीय नियमों के अनुसार अवकाश लेने की पात्रता होगी। नियुक्ति में पेंशन, उपादान एवं तत्संबंधी अन्य किसी प्रकार के लाभ देय नहीं होंगे।
 7. कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपस्थित प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 8. सेवायें किसी भी समय बिना कारण एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेंगी एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धिया) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
 9. नियुक्त व्यक्ति म0प्र0सिविल सेवा आचरण नियमों के अधीन शासित होंगे।
 10. नियुक्त व्यक्ति की सेवायें स्वशासी संस्था के संवर्धन तथा सविलियन संबंधी नियम 1998 के अधीन होगी।
 11. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
 12. नियुक्त व्यक्ति को 50/- रुपये के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
 13. पुलिस सत्यापन में अयोग्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
 14. नियुक्त व्यक्ति को उपस्थित के समय-पूर्व नियुक्ता द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 15. वरिष्ठता सूची का निर्धारण बाद में किया जायेगा।
 16. शासन द्वारा समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तें परिवर्तित की जा सकती है। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
 17. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेंगी।
- नोट:- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।
अधिष्ठाता द्वारा अनुमोदित

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सर्वांगानुक्त एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति भोपाल।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्य प्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. नियंत्रक, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल म0प्र0, भोपाल।
5. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, जयप्रकाश चिकित्सालय, भोपाल।
6. पुलिस अधीक्षक, जिला भोपाल।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भोपाल।
8. प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष, ट्रामा यूनिट, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. आहरण एवं संतिवरण अधिकारी, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि वेतन भुगतान की व्यवस्था ट्रामा यूनिट से करें।
10. लेखापाल, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल।
11. संबंधित.....
12. आदेश नस्ति / व्यक्तिगत नस्ति।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति, भोपाल